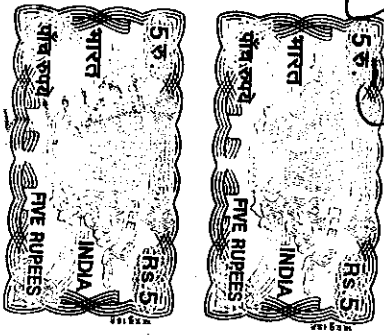

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   १२०१६ रैस्टोरेशन (विविध)
२२८। 9257-II/16

लक्ष्मिणधर पुत्र हरिप्रसन्नधर,
निवासी ग्राम छटवा मूधर तेहसील- मऊगंज,
जिला रीवा-मध्यप्रदेश एवं अन्य ।
----- प्रार्थीगण

विरुध्द

शेष अणिधर पुत्र रामानुग्रहधर,
निवासी ग्राम छटवा मूधर, तेहसील-मऊगंज,
जिला रीवा-मध्यप्रदेश एवं अन्य ।
----- प्रतिप्रार्थीगण

एम.के. 17.11.16

17-11-16

16/11/16

पुनरास्थापन आवेदन-पत्र अन्तर्गत नियम ३२-१, धारा ६ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १६५६। प्र०क्र० ६०३-दो।०१ निगरानी आदेश दिनांक

श्रीमान् जी,

पुनरास्थापन आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

१- यह कि, उपरोक्त प्रकरण में निवेदन है कि निगरानी प्रकरण में पेशी दिनांक 30/10/16 नियत थी ।

२- यह कि, नियत दिनांक 30/10/16 को प्रकरण अपूर्ण होने से आगामी तारीख पेशी नियत होना था । ३००००००१६

३- यह कि, नियत दिनांक को उभय पक्ष एवं अन्य प्रकरण में नियुक्त अभिभाषक महोदय की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त हो गया है ।

४- यह कि, नियत दिनांक की कोईसूचना प्रार्थीगण को न थी।

क्रमश:--२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टो0 9257–दो/16 जिला –रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
17.11.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। उन्हें रेस्टो0 आवेदन पर तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता का तर्क था कि प्रकरण में अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ था एवं अधिवक्ता किसी कार्यवस उपस्थित नहीं हुये । अधिवक्ता की अनुपस्थित नहीं होने से निग0 प्रकरण कमांक 603–दो/01 में अदम पैरवी में निरस्त हो गया था। पुनः प्रकरण नंबर लेने का अनुरोध किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा निग0 603–दो/01 पुनः नंबर पर लिया जाता है। यह रेस्टो0 समाप्त कर निराकृत किया जाता है। सदस्य	